

वैवाहिक विवाद में अंतिम वकिलप के रूप में पुलिस

प्रलिस के लिये:

[सर्वोच्च न्यायालय, विश्व आर्थिक मंच, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, 2023, भारतीय न्याय संहिता, 2023, दहेज परतषिध अधिनियम, 1961, वैकल्पिक विवाद समाधान \(ADR\)](#)

मेन्स के लिये:

वैवाहिक विवाद में अंतिम वकिलप के रूप में पुलिस, घरेलू हिंसा में योगदान देने वाले कारक, [वैकल्पिक विवाद समाधान \(ADR\)](#)

[स्रोत: द हिंदू](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने वैवाहिक समस्याओं का सामना कर रहे परिवारों को सावधानी बरतने की सलाह देते हुए कहा है कि पुलिस के पास जाना उनके लिये "अंतिम वकिलप" होना चाहिये।

सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या हैं?

परिचय:

- सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ ने पंजाब और हरियाणा [उच्च न्यायालय](#) के आदेश के विरुद्ध पति द्वारा दायर याचिका पर नरिणय सुनाते हुए कुछ टिप्पणियाँ की, जिसमें उसके विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था।
- सर्वोच्च न्यायालय केवल "कूरता और उत्पीड़न के वास्तविक मामलों" में पुलिस के हस्तक्षेप का उपयोग करने में सावधानी बरतने की सलाह देता है।

टिप्पणियाँ:

- यह नरिणय [भारतीय दंड संहिता \(IPC\)](#) की धारा 498A (घरेलू कूरता) के यांत्रिक अनुप्रयोग के विरुद्ध चेतावनी देता है।
- एक "पूरण" घरेलू हिंसा के मामले में आपराधिक धमकी या मामूली परेशानियों से परे क्षति पहुँचाने जैसे तत्त्वों की आवश्यकता होती है।
- न्यायालय ने संसद से [भारतीय न्याय संहिता, 2023](#) की धारा 85 और 86 (3 वर्ष तक की सज़ा) (IPC की धारा 498A के समान) की समीक्षा करने का आग्रह किया।
- तलाक को बच्चे के पालन-पोषण के लिये हानिकारक माना जाता है, विशेष रूप से जब कानूनी प्रक्रियाओं के कारण जल्दबाज़ी की जाती है।
- यह नरिणय [उच्च न्यायालयों](#) को वैवाहिक मुद्दों से उत्पन्न आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की याचिका पर नरिणय लेने से पूर्व सभी पहलुओं और परिस्थितियों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के लिये प्रोत्साहित करता है।

नोट:

- मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ अपराकृतिक यौन संबंध को [IPC की धारा 377](#) के तहत "बलात्कार" नहीं माना जाएगा क्योंकि ऐसे मामले में पत्नी की सहमति महत्वहीन हो जाती है क्योंकि वह उससे विवाहित थी।
 - एक पत्नी द्वारा अपने पति के खिलाफ अपराकृतिक यौन संबंध बनाने का आरोप लगाते हुए दर्ज़ कराई गई FIR को न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया।
- हालाँकि वैवाहिक बलात्कार IPC में अपराध नहीं है, फिर भी केरल उच्च न्यायालय ने वर्ष 2021 में फैसला सुनाया कि वैवाहिक बलात्कार पति द्वारा पत्नी के प्रति कूरता है और कूरता के दायरे में यह तलाक का आधार है।

वैवाहिक विवादों को हल करने हेतु अन्य मौजूदा उपाय क्या हैं?

- **वैकल्पिक विवाद समाधान (Alternative Dispute Resolution- ADR)** के तहत विभिन्न तंत्र वैवाहिक विवादों के यथाशीघ्र समाधान में सहायता कर सकते हैं:
 - **मध्यस्थता:** एक तटस्थ तृतीय पक्ष वैवाहिक और पारिवारिक विवादों के संबंध में पारस्परिक रूप से सहमत समाधान तक पहुँचने के लिये पति-पत्नी के बीच बातचीत एवं समझौते की सुविधा प्रदान करता है।
 - **के. श्रीनिवास राव बनाम डी.ए. दीपा** मामले में **सर्वोच्च न्यायालय** ने वैवाहिक विवादों में मध्यस्थता पर जोर दिया।
 - **सुलह:** मध्यस्थता के समान, **सुलहकरता भी समाधान प्रस्तावित कर सकता है और युग्म को एक समझौते की ओर मार्गदर्शित कर सकता है।**
 - **माध्यस्थम:** यहाँ **दोनों पक्षों द्वारा चुना गया एक नज्दी मध्यस्थ** तर्क सुनता है और विवाद से संबंधित बाध्यकारी निर्णय देता है।
- इसके अतिरिक्त विभिन्न कानूनी संस्थान विवाह की अवधारणा में भावनाओं और सामाजिक वर्जनाओं जैसे कारकों की भागीदारी के कारण न्याय प्रदान करने के अधिक प्रभावी तरीके के रूप में **वैकल्पिक विवाद समाधान (Alternative Dispute Resolution- ADR)** प्रदान करते हैं।
 - **1984 के परिवार न्यायालय अधिनियम** द्वारा स्थापित परिवार न्यायालय विवाह और पारिवारिक मामलों तथा उससे संबंधित विवादों के सुलह एवं त्वरित निपटान को बढ़ावा देते हैं।
 - **ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008** के तहत स्थापित ग्राम न्यायालय भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में वैवाहिक विवादों तक त्वरित और सीधी पहुँच प्रदान करते हैं।
 - **सविलि प्रक्रिया संहिता, 1908** और **हद्द विवाह अधिनियम, 1955** भी पारिवारिक विवादों में सुलह को प्रोत्साहित करते हैं।



महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा

घरेलू हिंसा किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार को संदर्भित करती है, चाहे वह घर, परिवार या घरेलू इकाई की सीमा के भीतर शारीरिक, भावनात्मक, यौन या आर्थिक हो।



राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (NFHS), 2019-2021

- 29.3% विवाहित महिलाओं ने घरेलू/यौन हिंसा का अनुभव किया
- 3.1% गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान शारीरिक हिंसा का सामना करना पड़ा
- 87% विवाहित महिलाओं, जो वैवाहिक हिंसा की शिकार हुईं, ने मदद नहीं मांगी
- 32% विवाहित महिलाओं ने **शारीरिक, यौन या भावनात्मक हिंसा** का अनुभव किया

भारत में कानूनी ढाँचे

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (PWDVA)	<ul style="list-style-type: none"> इसमें शारीरिक, भावनात्मक, यौन और आर्थिक शोषण शामिल है सुरक्षा, निवास और अनुतोष हेतु विभिन्न आदेश प्रदान करता है
भारतीय दंड संहिता, 1860	<ul style="list-style-type: none"> धारा 498A पति या उसके रिश्तेदारों के द्वारा की गई क्रूरता से संबंधित है क्रूरता, उत्पीड़न या यातना के कृत्यों को अपराध घोषित करता है
दहेज निषेध अधिनियम, 1961	<ul style="list-style-type: none"> यह दहेज देने या दहेज लेने को अपराध घोषित करता है
दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013	<ul style="list-style-type: none"> घरेलू हिंसा के मामलों में यौन उत्पीड़न से संबंधित नए अपराधों को शामिल करने के लिये IPC की धारा 354A में संशोधन किया गया।
राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990	<ul style="list-style-type: none"> महिलाओं के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है और घरेलू हिंसा से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है
बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006	<ul style="list-style-type: none"> बाल विवाह को रोकना और बाल वधू के विरुद्ध घरेलू हिंसा को रोकना।

वैश्विक पहलें

- महिलाओं के प्रति भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर केंद्रित 'संधि' (CEDAW):** वर्ष 1979 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया
 - जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति भेदभाव को समाप्त करना
- महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा (DEVAW):** महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को स्पष्ट रूप से संबोधित करने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय उपकरण
 - राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई के लिये एक रूपरेखा प्रदान करता है
- सुरक्षित शहर और सुरक्षित सार्वजनिक स्थान:** संयुक्त राष्ट्र महिला द्वारा संचालित प्रमुख कार्यक्रम
 - सार्वजनिक स्थानों पर यौन उत्पीड़न एवं हिंसा के अन्य रूपों को रोकना और उन पर प्रतिक्रिया देना
- बीज़िंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन (1995):** हिंसा को रोकने और प्रतिक्रिया देने के लिये सरकारों द्वारा की जाने वाली विशिष्ट कार्रवाइयों की पहचान करता है
- SDG 5 (लैंगिक समानता):** प्रत्येक स्थान पर सभी महिलाओं और लड़कियों के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करना



Drishti IAS

आगे की राह

- संसद को भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 और 86 की समीक्षा पर विचार करना चाहिये ताकि भविष्य इसके दुरुपयोग या फर्ज़ी मामलों को रोका जा सके।
- वैवाहिक विवादों से संबंधित मामलों में पुलिस के हस्तक्षेप को कम करने के लिये कानूनी कार्रवाई से पूर्व सुलह के प्रयासों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिये।
- संवेदनशील वैवाहिक मुद्दों को संभालने में मध्यस्थों और सुलहकर्त्ताओं के उचित प्रशिक्षण द्वारा ADR तंत्र को मज़बूत करने की आवश्यकता है।
 - खाप पंचायतों (जाति या सामुदायिक समूहों) जैसे स्थानीय एवं अनियमित ADR तंत्र को वनियमित और सुधारने की आवश्यकता है, जो अर्द्ध-न्यायिक निकायों के रूप में कार्य करते हैं तथा संवेदनशील वैवाहिक मुद्दों में भी सदियों पुराने रीति-रिवाज़ों के आधार पर कठोर दंड देते हैं।
- शांतिपूर्ण विवाद समाधान के लिये कानूनी अधिकारों और ADR वकिलों के बारे में जन जागरूकता पर ध्यान दिया जाना चाहिये।
- वैवाहिक कलह का सामना कर रहे जोड़ों को सुलभ मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने, संघर्ष और संघर्ष समाधान कौशल को बढ़ावा देने के लिये उचित तंत्र स्थापित किया जाना चाहिये।

नबिकरषः

सर्वोच्च न्यायालय की टपिपणी वैवाहिक विवादों के प्रतिसूक्ष्म दृष्टिकोण पर आधारित है। यह जोड़ों को तत्काल पुलिस हस्तक्षेप या आपराधिक कार्यवाही पर सुलह करने और सहनशीलता को प्राथमिकता देने के लिये प्रोत्साहित करता है। करूरता के वास्तविक मामलों को स्वीकार करते हुए, न्यायालय का उद्देश्य कानूनों के दुरुपयोग को रोकना तथा पति-पत्नी और बच्चों दोनों की भलाई की रक्षा करना है।

दृष्टिमुख्य प्रश्नः

प्रश्न. वैवाहिक मामलों में पुलिस की भागीदारी पर सर्वोच्च न्यायालय की टपिपणियों पर चर्चा कीजिये। इसके अलावा भारत में वैवाहिक विवादों को सुलझाने के अन्य मौजूदा तरीकों का भी उल्लेख कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, गत वर्ष के प्रश्न

??????:

प्रश्न. प्रायः समाचारों में देखी जाने वाली 'बीजगि घोषणा और कार्रवाई मंच (बीजगि डिक्लरेशन ऐंड प्लेटफॉर्म फॉर ऐक्शन)' नमिनलखिति में से क्या है? (2015)

- क्षेत्रीय आतंकवाद से निपटने की एक कार्यनीति (स्ट्रैटजी), शंघाई सहयोग संगठन (शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइज़ेशन) की बैठक का एक परिणाम
- एशिया-प्रशान्त क्षेत्र में धारणीय आर्थिक संवृद्धि की एक कार्य-योजना, एशिया-प्रशान्त आर्थिक मंच (एशिया-पैसिफिक इकनॉमिक फोरम) के विचार-विमर्श का एक परिणाम
- महिला सशक्तीकरण हेतु एक कार्यसूची, संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित विश्व सम्मेलन का एक परिणाम
- वन्य जीवों के दुरुव्यापार (ट्रैफिकिंग) की रोकथाम हेतु कार्यनीति, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (ईस्ट एशिया समिटि) की एक उद्घोषणा

उत्तरः (c)

??????:

प्रश्न. हमें देश में महिलाओं के प्रति यौन-उत्पीडन के बढ़ते हुए दृष्टांत दिखाई दे रहे हैं। इस कृत्तय के वरिद्ध वदियमान वधिकि उपबंधों के होते हुए भी, ऐसी घटनाओं की संख्या बढ़ रही है। इस संकट से निपटने के लिये कुछ नवाचारी उपाय सुझाइए। (2014)

प्रश्न. भारत में एक मध्यम-वर्गीय कामकाज़ी महिला की अवस्थतिको पत्तितंत्र (पेटरआरकी) कसि प्रकार प्रभावति करता है? (2014)